न्यायालय श्री राजेन्द्र सिंह चारण, R.A.S अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 340/2021 (जीसीएमएस संख्या : 2021/352)
सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील–जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

1. भरत पुत्र स्व0 श्री नन्दकिशोर, जाति–पारीक ब्राह्मण, निवासी–ए5, महावीर मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर।
2. दीपक पुत्र स्व0 श्री नन्दकिशोर, जाति–पारीक ब्राह्मण, निवासी–ए5, महावीर मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर।
3. मधुकर पुत्र स्व0 श्री नन्दकिशोर, जाति–पारीक ब्राह्मण, निवासी–ए5, महावीर मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर।
4. शकुन्तला पत्नी स्व0 श्री नन्दकिशोर, जाति–पारीक ब्राह्मण, निवासी–ए5, महावीर मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर। (मृतक)
   - 4/1 भरत पुत्र स्व0 श्री नन्दकिशोर, जाति–पारीक ब्राह्मण, निवासी–ए5, महावीर मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर।
   - 4/2 दीपक पुत्र स्व0 श्री नन्दकिशोर, जाति–पारीक ब्राह्मण, निवासी–ए5, महावीर मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर।
   - 4/3 मधुकर पुत्र स्व0 श्री नन्दकिशोर, जाति–पारीक ब्राह्मण, निवासी–ए5, महावीर मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर।
5. निलेश पुत्र श्री मदनकुमार पारीक, जाति–पारीक ब्राह्मण, निवासी–26, धूलेश्वर बाग, जयपुर।
6. मदनकुमार पुत्र श्री नारायण सहाय, जाति–पारीक ब्राह्मण, निवासी–26, धूलेश्वर बाग, जयपुर। (मृतक)
   - 6/1 रामप्यारी पत्नी स्व0 श्री मदनकुमार, जाति–ब्राह्मण, निवासी–26, धूलेश्वर बाग, जयपुर। (मृतक)
   - 6/2 महेन्द्र पुत्र स्व0 श्री मदनकुमार, जाति–ब्राह्मण, निवासी–26, धूलेश्वर बाग, जयपुर। (मृतक)
     - 6/2/1 अरूणा पत्नी स्व0 श्री महेन्द्र कुमार, जाति–ब्राह्मण, निवासी–26, धूलेश्वर बाग, जयपुर।
     - 6/2/2 श्वेता त्रिपाठी पुत्री स्व0 श्री महेन्द्र कुमार, जाति–ब्राह्मण, निवासी–26, धूलेश्वर बाग, जयपुर।
     - 6/2/3 रिद्धी पारीक पुत्री स्व0 श्री महेन्द्र कुमार, जाति–ब्राह्मण, निवासी–26, धूलेश्वर बाग, जयपुर।
     - 6/2/4 यश पारीक पुत्र स्व0 श्री महेन्द्र कुमार, जाति–ब्राह्मण, निवासी–26, धूलेश्वर बाग, जयपुर।
   - 6/3 निलेश पुत्र स्व0 श्री मदनकुमार, जाति–ब्राह्मण, निवासी–26, धूलेश्वर बाग, जयपुर।
   - 6/4 मंजूला पत्नी स्व0 डॉ0 अशोक पुरोहित पुत्री स्व0 श्री मदनकुमार, जाति–ब्राह्मण, निवासी–26, धूलेश्वर बाग, जयपुर।
   - 6/5 सुनिता पत्नी स्व0 नवल पुरोहित पुत्री स्व0 श्री मदनकुमार, जाति–ब्राह्मण, निवासी–26, धूलेश्वर बाग, जयपुर।
   - 6/6 नीला पत्नी अशोक जोशी पुत्री स्व0 श्री मदनकुमार, जाति–ब्राह्मण, निवासी–5बी, विहार, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर।
7. हनुमानसहाय पुत्र स्व0 श्री रामचन्द्र, जाति–जाट, निवासी–सिरसी, तहसील–जयपुर।
8. प्रभु पुत्र स्व0 श्री रामचन्द्र, जाति–जाट, निवासी–सिरसी, तहसील–जयपुर।
9. कल्याणसहाय पुत्र स्व0 श्री रामचन्द्र, जाति–जाट, निवासी–सिरसी, तहसील–जयपुर।
10. रामनाथ पुत्र स्व0 श्री रामचन्द्र, जाति–जाट, निवासी–सिरसी, तहसील–जयपुर।

न्यायालय अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर

11. काना पुत्र स्व0 श्री रामचन्द्र, जाति–जाट, निवासी–सिरसी, तहसील–जयपुर।
12. ताराचंद पुत्र स्व0 श्री रामचन्द्र, जाति–जाट, निवासी–सिरसी, तहसील–जयपुर।
13. नारायणलाल पुत्र स्व0 श्री रामचन्द्र, जाति–जाट, निवासी–सिरसी, तहसील–जयपुर।
14. आशादेवी पत्नी स्व0 श्री रामेश्वर, जाति–जाट, निवासी–सिरसी, तहसील–जयपुर।
15. राहुल(नाबा0) पुत्र स्व0 श्री रामेश्वर जरिये संरक्षिका माता आशादेवी, जाति–जाट, निवासी–सिरसी, तहसील–जयपुर।

अप्रार्थीगण,

(राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955)

उपस्थिति :–

1. श्री प्रहलाद रावत, राजकीय अभिभाषक।
2. श्री बनवारी लाल शर्मा, श्री उमेश कुमार शर्मा, अभिभाषक, अप्रार्थी सं0 5, 6/3 की ओर से।
3. श्री उमेश कुमार शर्मा, अभिभाषक, अप्रार्थी सं0 6/2/1, 6/2/3, 6/2/4 की ओर से।
4. अप्रार्थी सं0 1 लगायत 3, 4/1 लगायत 4/3, 6/2/2, 6/4 लगायत 6/6, 7 लगायत 15 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 04.04.2022**

तहसीलदार, जयपुर द्वारा यह निवेदन किया गया है कि ग्राम–सिरसी के आराजी खसरा नंबर 5 रकबा 1 बीघा 04 बिस्वा, आ0ख0नं0 528 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा, आ0ख0नं0 535 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, आ0ख0नं0 831 रकबा 4 बीघा 08 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 12 बीघा 07 बिस्वा आधारभूत राजस्व रिकार्ड खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2015–2034 में माफी मन्दिर श्री रघुनाथ जी पुजारी नानूलाल, छोटीलाल पि0 गंगाबक्स जाति–ब्राह्मण दायमा सा0 देह के नाम से अंकित थी। इसमें से आराजी खसरा नंबर 5, पुजारियों द्वारा विक्रय करने पर क्रेता गणपतलाल पुत्र धन्नालाल के नाम नामान्तरकरण संख्या 217 स्वीकार किया गया है, क्रेता गणपतलाल की मृत्यु होने पर विरासत नामान्तरकरण संख्या 1204 वारिसों के नाम तस्दीक किया गया है। वारिसान द्वारा विक्रय करने पर क्रेता नन्दकिशोर पुत्र कल्याण के नाम का अंकन जरिये नामान्तरकरण संख्या 1228 के हुआ तत्पश्चात् क्रेता नंदकिशोर की मृत्यु होने पर विरासत नामान्तरकरण संख्या 1526 तस्दीक किया जाकर जमाबन्दी सम्वत् 2056–2059 में अमल–दरामद हुआ। पुजारियों की मृत्यु होने पर आराजी खसरा नम्बर 528, 535 व 831 जरिये नामान्तरकरण संख्या 318 वारिसान के नाम अंकित किया गया, वारिसों द्वारा आराजी खसरा नं0 528 व 535 का विक्रय किये जाने पर नामान्तरकरण संख्या 904 व 1063 द्वारा क्रेतागण का नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज किया गया। पुजारियों के वारिसों द्वारा आराजी खसरा नम्बर 831 का विक्रय करने पर नामान्तरकरण संख्या

653 द्वारा क्रेता रामचन्द्र के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित किया गया। क्रेता रामचन्द्र की मृत्यु होने पर वारिसान के नाम जरिये नामान्तरकरण संख्या 1485 दर्ज की गई। इस प्रकार आराजी खसरा नम्बर 5, 528, 535 व 831 का हस्तान्तरण पुजारियों द्वारा किया गया है। कानूनन माफी मन्दिर/देवमूर्ति को शाश्वत अवयस्क माना गया है। अतः मूर्ति के नाम अंकित भूमि किसी दीगर के नाम होना गलत है। बिना किसी सक्षम आदेशों के मंदिर की आराजी स्थानान्तरित नही की जा सकती है। अतः वादग्रस्त आराजी राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थीगण का नाम विलोपित करके माफी मन्दिर श्री रघुनाथ जी के नाम दर्ज करने के आदेश फरमाये जावे।

उक्त आशय का रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र मय स्थगन प्रार्थना–पत्र तहसीलदार, जयपुर द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर, जयपुर में प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया और आज्ञा दिनांक 06.09.2004 द्वारा प्रकरण अधीन आराजी की जमाबन्दी में भूमि माफी मन्दिर श्री रघुनाथ जी की होने से रेफरेन्स प्रकरण प्रस्तुत किया गया जो विचाराधीन है, इस आशय का नोट अंकित किया जाकर भूमि के रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाई रखी जाने के आदेश तहसीलदार, जयपुर को दिये गऐ। श्रवण क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने के परिणामस्वरूप अग्रिम विचारण एवं निस्तारण हेतु प्राप्त होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर नियमानुसार अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गऐ। अप्रार्थी सं0 5, 6/2/1, 6/2/3, 6/2/4 व 6/3 जरिये अभिभाषक हाजिर आये और जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल मिसल है। बकिया अप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित रहे। अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं0 5, 6/3 द्वारा जरिऐ अभिभाषक प्रस्तुत किये गये जवाब का जवाबुलजवाब तहसीलदार, जयपुर ने जरिऐ पत्र क्रमांक/भू अ/रेफ./2021/1193 दिनांक 08.03.2022 द्वारा दिया जो शामिल मिसल है।

हमने उभय–पक्षों की बहस सुनी। विद्वान् राजकीय अभिभाषक श्री प्रहलाद रावत का कथन है कि वादग्रस्त आराजी सम्वत् 2015–2034 में माफी मन्दिर श्री रघुनाथ जी पुजारी नानूलाल, छोटेलाल पि0 गंगाबक्स जाति–ब्राह्मण दायमा सा0 देह के नाम खातेदारी दर्ज है। खतौनी बन्दोबस्त (जमाबन्दी) भू–प्रबन्ध (सेटलमेन्ट विभाग) के कॉलम संख्या 5 में खुदकाश्त दर्ज हैं और वादग्रस्त आराजी की खातेदारी की स्थिति तय करने के लिए जमाबन्दी एक मुख्य एवं विधिक दस्तावेज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत मूर्ति को शाश्वत् नाबालिग माना गया है और नाबालिग मूर्ति के स्वामित्व की आराजी का

हस्तान्तरण/विक्रय आदि नियमानुसार वर्जित हैं। नाबालिग मूर्ति की आराजी को पुजारी के अथवा अन्य के नाम बिना किसी वैध अधिकार के नहीं लगाया जा सकता हैं। विधिक दृष्टि में हिन्दू देव मूर्ति एक शाश्वत अवयस्क हैं। माफी के पुनर्ग्रहण पर खातेदारी अधिकार पुजारी को प्राप्त नहीं हो सकते, परन्तु विधि के परिवर्तन से देव मूर्ति को स्वतः ही खातेदारी अधिकार उसकी खुदकाबिज भूमि में प्राप्त हो जाते हैं। माफी मन्दिर श्री रघुनाथ जी पुजारी नानूराम, छोटेलाल पि0 गंगाबक्स, जाति–ब्राह्मण दायमा साकिन देह खुदकाश्त की विवादग्रस्त आराजी को यदि किसी व्यक्ति द्वारा कब्जा–काश्त भी की गई हैं तो वह मूर्ति का कब्जा–कृषि कार्य करने वाला व्यक्ति ही माना जायेगा और उसको खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। प्रश्नगत् प्रकरण में तो स्पष्ट रूप से वादग्रस्त आराजी माफी मन्दिर श्री रघुनाथ जी पुजारी नानूराम, छोटेलाल पि0 गंगाबक्स, जाति–ब्राह्मण दायमा साकिन देह दर्ज हैं और कॉलम संख्या 5 नाम कृषक में खुदकाश्त का इन्द्राज है। ऐसी स्थिति में किसी काबिज–काश्तकार की प्रविष्टि को अन्यथा रूप से दोहराने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता हैं। पुजारियों को वादग्रस्त आराजी के खातेदारी अधिकार किसी सक्षम अधिकारी द्वारा तत्समय प्रचलित कानूनों में नहीं दिये गये है और न ही वैध रूप से पुजारियों के नाम खातेदारी दर्ज की गई है। आराजी खसरा नम्बर 5 रकबा 1 बीघा 04 बिस्वा को पुजारियों द्वारा एवं आराजी खसरा नम्बर 528, 535, 831 को पुजारियों के उत्तराधिकारियों द्वारा बैचान किया गया है जिनका जरिये नामान्तरकरण क्रेतागण एवं क्रेतागण के वारिसान के नाम दर्ज किया गया है परन्तु जब पुजारियों को ही किसी प्रकार से विधिक खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं है तो पुजारियों/पुजारियों के उत्तराधिकारियों द्वारा किया गया बैचान और बैचान के आधार पर क्रेतागण व क्रेतागण के उत्तराधिकारियों के नाम दर्ज किया गया नामान्तरकरण अथवा दर्ज राजस्व अभिलेख इन्द्राज स्वतः ही प्रारंभ से शून्य हो जाते है। वादग्रस्त आराजी खसरा नं0 528 एवं 535 की खसरा गिरदावरी सम्वत् 2015 से पूर्व में काश्त किये गये व्यक्तियों के नाम दर्ज है। काश्त किये जाने वाला व्यक्ति खसरा गिरदावरी में इन्द्राज होने के फलस्वरूप किसी भी प्रकार से न तो खातेदार कहलाएगा और न ही वह इस आधार पर खातेदारी प्राप्त करने का हकदार है। जमाबंदी सम्वत् 2015–2034 में दर्ज खातेदारी माफी मन्दिर श्री रघुनाथ जी खुदकाश्त होने से आने वाले वर्षों में दर्ज इन्द्राज की निरन्तरता में ही प्रविष्टी की जानी थी परन्तु रघुनाथ जी की खातेदारी की बजाय पुजारियों के खातेदारी इन्द्राज किये गये है जो प्रारंभ से शून्य है। इस प्रकार नियमों के विपरित माफी मन्दिर श्री रघुनाथ जी की खुदकाश्त खातेदारी

आराजी को पुजारियों द्वारा अवैध रूप से बैचान किये जाने के फलस्वरूप अप्रार्थीगण की निजी खातेदारी में दर्ज है जो अवैध होने से निरस्तनीय है। रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है ऐसी स्थिति में रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में विभिन्न प्रक्रिया के द्वारा किये गये राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज को निरस्त कर वापिस माफी मन्दिर श्री रघुनाथ जी की खातेदारी में दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

अप्रार्थी सं0 5, 6/3 व 6/2/1, 6/2/3, 6/2/4 के विद्वान अभिभाषकगण श्री बनवारी लाल शर्मा व श्री उमेश कुमार शर्मा का कथन है कि रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण को मात्र हैरान व परेशान करने की गरज से प्रस्तुत किया गया है। तहसीलदार, जयपुर द्वारा वादग्रस्त आराजी को सम्वत् 2015–2034 में मंदिर श्री रघुनाथ जी पुजारी नानूलाल छोटेलाल की खातेदारी में होना बताया है यह तथ्य गलत है। वास्तविकता यह है कि वादग्रस्त आराजी खतोनी बंदोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2015–2034 के कॉलम सं0 03 नाम भोक्ता, पिता का नाम, जाति व निवास स्थान में पट्टी नं0 18 पट्टी शामलात–किशोर जी कॉलम संख्या 4 नाम उपभोक्ता, पिता का नाम, जाति व निवास स्थान में माफी मन्दिर श्री रघुनाथ जी पुजारी नानूलाल, छोटेलाल पि0 गंगाबक्स जाति–ब्राह्मण दायमा सा0 देह व कॉलम संख्या 5 नाम कृषक, पिता का नाम, जाति व निवास स्थान, श्रेणी कृषक व कृषिकाल में खुदकाश्त दर्ज है। अतः मन्दिर की खुदकाश्त आराजी का कथन गलत है, वादग्रस्त आराजी के कॉलम सं0 3 में दर्ज व्यक्ति जागीरदार थे। कॉलम सं0 4 में अंकित तो मात्र आराजी का लीज हॉल्डर होना दर्शाता है। तहसीलदार, जयपुर द्वारा इन तथ्यों पर गौर नहीं किया गया कि वादग्रस्त आराजी सेटलमेन्ट से पूर्व ही क्रेतागण के पूर्व अधिकारीगण के नाम पूर्वजों के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी थी। वादग्रस्त आराजी को सेटलमेन्ट के दौरान खुदकाश्त दर्ज किया जाना सरासर गलत है जबकि भू–प्रबन्ध से पूर्व ही वादग्रस्त आराजी व्यक्तिगत खातेदारी की आराजी रही है। जयपुर स्टेट के तात्कालिक राजस्व अभिलेख खसरा गिरदावरी सम्वत् 2009 से 2011 व 2012 से 2015 में खसरा नम्बर 528, 535 मन्दिर के नाम नहीं होकर काश्तकारों के नाम दर्ज रही है। इसी अनुसार खतौनी बन्दोबस्त भी बनाई जानी थी परन्तु बिना वैध अधिकार के मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2015 में कॉलम संख्या 4 में मन्दिर का नाम गलत अंकित कर दिया गया। कॉलम संख्या 3 में पूर्व में राजस्व अभिलेख खसरा गिरदावरी में दर्ज काश्तकारों के नाम के ही

इन्द्राज बदुस्तूर होने चाहिए थे और कॉलम संख्या 5 में खातेदार काश्तकार नानूलाल, छोटीलाल का नाम दर्ज किया जाना चाहिऐ था परन्तु भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा पूर्व के राजस्व अभिलेखों की निरन्तरता में इन्द्राज करने की बजाय अपने मन मर्जी से गलत इन्द्राज किये गये है। राजस्व अधिकारियों द्वारा तैयार किये जा रहे/प्रस्तुत किये गये रेफरेन्सों के सम्बन्ध में राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक 3(2)राज.–6/2007/14 दिनांक 24.05.2007 द्वारा स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि "जागीरों के अधिग्रहण के समय जो भूमि मन्दिर के नाम से अथवा जरिये पुजारी खुदकाश्त के रूप में दर्ज थी उस भूमि में किसी भी अन्य व्यक्ति को काश्तकारी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। मन्दिर मूर्ति निरन्तर अवयस्क है वह किसी व्यक्ति के माध्यम से जैसे पुजारी, सेवादार, आदि के माध्यम से कार्य कर सकता है। इसके नाम से काश्त दर्ज होने पर काश्तकारी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। ऐसे प्रकरणों में जिनमें मन्दिर के पुजारियों के नाम भूमि दर्ज है उनमें निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु सक्षम न्यायालय में रेफरेन्स की कार्यवाही की जावे। मंदिरों को माफी की भूमि जागीर के रूप में दी गयी थी तथा राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 के प्रभावी होने पर जागीरों के पुनर्ग्रहण के साथ–साथ ऐसी भूमियों का निस्तारण इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किया गया जिसके अनुसार जो भूमि जागीरों के पुनर्ग्रहण के समय किसी व्यक्ति के पास पट्टेदार या अन्य किसी नाम से दर्ज थी उस भूमि को जागीर अधिग्रहण के समय उस व्यक्ति के नाम निरन्तर दर्ज करते हुये खातेदारी निरन्तर बनाये रखने के अधिकार प्रदान किये गये है। विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 13.12.1991 के अनुसरण में ऐसी भूमियों को वापिस मन्दिर के नाम दर्ज किया जा रहा है, उचित नहीं है। ऐसी भूमि के सम्बंध में जो मन्दिर माफी की थी के सम्बंध में राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम, 1952 की धारा 9 में प्रावधान किया गया है कि इस अधिनियम के प्रभावी होने के समय जो व्यक्ति राजस्व रिकार्ड में पट्टेदार, खादिमदार या अन्य किसी नाम से दर्ज थे वे निरन्तर खातेदार बने रहेंगे। जागीरों के अधिग्रहण के समय मन्दिर माफी की भूमि जो किसी व्यक्ति के नाम खातेदार, पट्टेदार अथवा खादिमदार आदि नाम से दर्ज थी उनमें उन काश्तकारों को पूर्ण उत्तराधिकार योग्य एवं हस्तान्तरणीय अधिकार प्राप्त है। ऐसी भूमियों को पुनः मन्दिरों के नाम दर्ज किया जाना विधि–सम्मत नहीं है। राजस्व रिकार्ड में ऐसे व्यक्तियों का नाम निरन्तर खातेदार के रूप में दर्ज रहेगा।" प्रथम बंदोबस्त से पूर्व की खसरा गिरदावरी सम्वत् 2009–2011 के कॉलम नम्बर 7 में खातेदार नानूलाल व

छोटेलाल पिसरान गंगाबक्स के नाम खातेदार की हैसियत से दर्ज है अर्थात वादग्रस्त आराजी कतई माफी मन्दिर की खातेदारी की नहीं होकर निजी खातेदारी नानूलाल, छोटीलाल की आराजी रही है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की लार्जर बैंच के निर्णय दिनांक 15.07.2015 तारा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में यह स्पष्ट सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि काश्तकारी के रूप में कोई व्यक्ति काश्तकार रहा है तो उसे खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जायेंगे परन्तु विक्रेतागण एवं विक्रेतागण के पूर्वजों का नाम तो बतौर खातेदार भू–प्रबन्ध से पूर्व ही दर्ज रहा है और कब्जा काश्त रहा है जो खसरा गिरदावरी से स्पष्ट सिद्ध है। प्रार्थी तहसीलदार, जयपुर ने धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत जो रेफरेन्स प्रस्तुत किया है, वह रेफरेन्स राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रभाव में आने के बाद तथा अप्रार्थीगण को तमाम खातेदारी अधिकार मय पैतृक वंशानुगत एवं पूर्ण अन्तरण के अधिकार (Heritable and transferable) प्राप्त होने के पश्चात् बिना तथ्यों की जांच किये ही, भू–प्रबन्ध द्वारा तैयार की गई जमाबंदी के आधार पर ही रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है जबकि भू–प्रबन्ध द्वारा किये गये इन्द्राजात ही तथ्यों से परे गलत रूप से अंकित किये गये है। भू–प्रबन्ध विभाग को, पूर्व में दर्ज राजस्व अभिलेखों के इन्द्राजातों की निरन्तरता में ही इन्द्राज करने थे जो कि उनके द्वारा नहीं किये गऐ ऐसी स्थिति में रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र चलने योग्य नहीं होने से निरस्तनीय है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 2 के अनुसार धारा 82 के प्रावधान विचारण प्रकरण पर लागू नहीं होते है। राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 एक विशेष अधिनियम है। इसके प्रभाव में आने पर उस पर जनरल लॉ ओवर राईट इफेक्ट नहीं रखते है। राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 की धारा 2 के अन्तर्गत जारी किये गये स्पेशल गजट नोटिफिकेशन दिनांक 01.01.1959 क्रमांक एफ. (338)/1.ए/53 में जागीर कमिश्नर द्वारा वादग्रस्त आराजी को मन्दिर की जागीर में सम्पत्ति खुदकाश्त नहीं मानी है अर्थात मन्दिर की निजी सम्पत्ति नहीं है रिज्यूम कर मुआवजा (compensation) जरिये आदेश दिनांक 24.04.1962 को दिया जा चुका है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी को देव भूमि या माफी मन्दिर की होना नहीं माना जा सकता है। राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 की धारा 2 (एच) में स्पष्ट प्रावधान है कि जागीर भूमि से तात्पर्य लैण्ड रेवन्यू से है अर्थात वे उस

भूमि के मालिक नहीं होते बल्कि लैण्ड से होने वाली आय से है। मन्दिर की भूमि जागीर लैण्ड की परिभाषा में आती है अर्थात वे मालिक नहीं थे, बल्कि यह भूमि लैण्ड रेवन्यू के लिये उनके नाम दर्ज की गई थी लेकिन मन्दिर या उसके महन्त या पुजारी ने वादग्रस्त आराजी को कभी भी काश्त नहीं किया बल्कि भू–प्रबन्ध से पूर्व ही नानूलाल व छोटेलाल पिसरान गंगाबक्स का इस आराजी पर बतौर खातेदार–काश्तकार कब्जा काश्त रहा है और इसी इन्द्राज के अनुसार भू–प्रबन्ध में भी इन्द्राज किया जाना था परन्तु खतौनी बन्दोबस्त में गलत रूप से माफी मंदिर श्री रघुनाथ जी का नाम दर्ज किया गया है। वादग्रस्त आराजी राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 की धारा 10 के तहत नहीं है अर्थात मन्दिर की निजी सम्पत्ति नहीं है और न ही खुदकाश्त है। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा कॉलम संख्या 5 में गलत रूप से खुदकाश्त दर्ज की है। इसीलिये उक्त अधिनियम के तहत मन्दिर को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये गये है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 दिनांक 14.03.1955 को प्रभाव में आया तथा प्रभाव में आने के समय अप्रार्थीगण के पूर्वज विक्रेता वादग्रस्त आराजी पर बहैसियत खातेदार/कृषक काबिज थे और काश्त कर रहे थे, बतौर खातेदार/कृषक के रूप में रेवन्यू रिकॉर्ड–सम्वत् 2009 से 2011 व 2012 से 2015 खसरा गिरदावरी में नाम दर्ज था और इसी के अनुरूप खतौनी बन्दोबस्त में भी नाम अंकित किया जाना चाहिए था परन्तु भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा गलत रूप से मन्दिर का नाम दर्ज कर खुदकाश्त आराजी दर्ज की है जो सरासर गलत है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा जमाबंदी सम्वत् 2019–2022 एवं जमाबन्दी सम्वत् 2023–2026 में भू–प्रबन्ध से पूर्व वादग्रस्त आराजी के चले आ रहे खातेदार नानूलाल, छोटेलाल पि0 गंगाबक्स का नाम दर्ज किया है और इसके पश्चात् वारिसान व क्रेतागण के नाम वादग्रस्त आराजी चली आ रही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 के अनुसार जो व्यक्ति बतोर कृषक जमीन पर काश्त कर रहा था उसे धारा 15 के तहत टीनेन्सी के अधिकार प्रदान कर दिये तथा अप्रार्थीगण के पूर्वजों को धारा 41 के तहत अन्तरण के पूर्ण अधिकार (transferable rights) प्राप्त हो गये तथा अप्रार्थीगण के पूर्वज पीढी दर पीढी काश्त कर रहे थे, इसलिये उनको पैतृक वंशानुगत अधिकार (heritable rights) स्वतः ही प्राप्त थे। ऐसी स्थिति में मंदिर का वादग्रस्त आराजी में कोई अधिकार शेष नहीं रहने से धारा 82 के तहत रेफरेन्स चलने योग्य नहीं होने से निरस्तनीय है। जागीर एक्ट लागू होने के समय धारा 9 के तहत जिन काश्तकारों को पैतृक वंशानुगत एवं पूर्ण अन्तरण अधिकार

(heritable and transferable rights) प्रदान किये गये वे सभी व्यक्ति संबंधित भूमि के खातेदार काश्तकार कानूनन हो गये और उन्हे (heritable and transferable rights) प्राप्त हो गये धारा 9 के मुताबिक भी अप्रार्थीगण के पूर्वजों को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये और जो अधिकार उन्हें पूर्व में प्राप्त हो गये थे, उन्हे राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 द्वारा भी रेग्यूलाराईज कर दिया गया तथा नई जमाबंदी बनने के वक्त उक्त अधिनियमों के प्रभाव में आने से प्रचलित अधिनियमों के प्रावधानों के तहत (by operation of law) अप्रार्थीगण के पूर्वजों विक्रेतागण का नाम बतौर खातेदार काश्तकार रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। जिसके विरूद्ध बिना दस्तावेजों का अध्ययन मनन परिशीलन किये ही सरसरी तौर पर प्रस्तुत किया गया रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र विधि के वर्णित सुस्थापित सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। न्यायिक दृष्टांत आर आर डी 1959 पेज 173 में स्पष्ट अभिमत दिया गया है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 से पूर्व जयपुर राज्य में जयपुर भू–राजस्व अधिनियम, 1947 प्रभाव में रहा है। ऐसी स्थिति में जयपुर राज्य द्वारा संधारित की गई जयपुर स्टेट की खसरा गिरदावरी को अधिकारों के अभिलेख होने से इंकार नहीं किया जा सकता अर्थात खसरा गिरदावरी को अधिकार अभिलेख माना गया है। प्रार्थी तहसीलदार, जयपुर द्वारा जमाबंदी सम्वत् 2015–2034 को रेफरेन्स आधार बनाया गया है उसमें मंदिर श्री रघुनाथ जी उपभौक्ता के रूप में दर्ज है न कि कृषक के रूप में बल्कि कृषक के रूप में अप्रार्थीगण के पूर्वजों के नाम खातेदारी दर्ज है। अप्रार्थीगण के पूर्वज या अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी को ना तो मंदिर के पुजारी ना ही किरायेदार, ना ही सेवादार ना ही मंदिर के मंदिर की इजाजत से काश्त करने वाले की हैसियत के व्यक्ति के रूप में थे और ना ही मंदिर के लिए काश्त करते थे और ना ही मंदिर खर्चे पर ही काश्त करते थे बल्कि जयपुर स्टेट के समय से बहैसियत खातेदार–काश्तकार आराजी पर काबिज थे और काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के समय भी बतौर खातेदार काश्तकार काबिज रहे है। रेफरेन्स प्रकरणों के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये परिपत्र दिनांक 24.05.2007, 06.01.2010 व 25.11.2011 राजस्व अधिकारियों के लिए मार्गदृष्टा है और इन परिपत्रों की परिधी में ही राजस्व अधिकारियों द्वारा माफी मन्दिर संबंधी प्रकरणों का निस्तारण किया जाना है। इन परिपत्रों में स्पष्ट किया गया है कि जो व्यक्ति बहैसियत खातेदार आराजी में काश्त कर रहा है उसकी हैसियत खातेदार की है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार के द्वारा जारी किये गये परिपत्रों

के विपरीत प्रार्थी तहसीलदार, जयपुर द्वारा विचारण प्रकरण प्रस्तुत किया गया है, जो राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 24.05.2007, 06.01.2010 व 25.11.2011 के निर्देशों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अप्रार्थी संख्या 5, 6/3 व 6/2/1, 6/2/3, 6/2/4 के विद्वान् अभिभाषकगण ने अपनी बहस जारी रखते हुए यह भी कथन किया कि वादग्रस्त आराजी कभी भी मन्दिर श्री रघुनाथ जी की खुदकाश्त नहीं रही है अपितु काश्तकारों की रही है। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा खतौनी बंदोबस्त में सम्वत् 2015–2034 में खुदकाश्त दर्ज किये जाने का गलत आशय लिया गया है जबकि खसरा गिरदावरी सम्वत् 2009 से 2011 व 2012 से 2015 के अवलोकन से स्पष्ट सिद्ध है कि वादग्रस्त आराजी नानूराम, छोटेलाल पि0 गंगाबक्स की खातेदारी में थी और वास्तव में खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2015 में जो बनाई गई वह भी इसी अनुसार बनाई जानी थी। भौक्ता शब्द का तात्पर्य तत्समय संबंधित भूमि के द्वारा प्राप्त राजस्व आय को भोगने वाला अर्थात जागीरदार के लिये प्रयुक्त है उपभोक्ता वह था जिसे जागीरदार द्वारा कतिपय उद्देश्यों हेतु भूमि को लीज पर दिया जाता था कृषक वह था जो तत्समय भूमि पर कृषि कार्य करता था। सम्वत् 2015 की खतोनी बंदोबस्त (जमाबंदी) में नाम भोक्ता के कॉलम में पट्टी नं0 18 पट्टी शामलात किशोर जी नाम दर्ज था जिससे यह स्पष्ट है कि माफी मन्दिर श्री रघुनाथ जी का नाम जागीरदार की हैसियत से दर्ज नहीं था। यह भी उल्लेखनीय है कि खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत 2015 के कॉलम संख्या 7 कृषक व कृषिकाल कॉलम में खुदकाश्त अंकित है। वह माफी मंदिर श्री रघुनाथ जी के लिए नहीं है। अप्रार्थीगण के पूर्वज बजमाने जागीर से ही काबिज होकर काश्त करते रहे है माफी की भूमि जागीर के रूप में माना गया है तथा राजस्थान भूमि सुधार व जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम, 1952 के प्रभावी होने पर (जागीर एक्ट की अनुसूची के अनुसार माफी की भूमि को जागीर की ही एक किस्म मानी गई है जो कि अनुसूची के क्रम 15 पर दर्ज है) जागीरों के पुनर्ग्रहण के साथ–साथ माफी भूमियों का निस्तारण "राजस्थान भूमि सुधार व जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम, 1952" की धारा 9 व 10 व राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 01.07.1963 के तहत जागीर पुनर्ग्रहण के प्रावधानों के अन्तर्गत किया गया जिसके अनुसार जो भूमि जागीरों के पुनर्ग्रहण के समय किसी व्यक्ति के पास पट्टेदार कृषक या अन्य किसी नाम से दर्ज थी उस भूमि को जागीर अधिग्रहण के समय उस व्यक्ति के नाम निरन्तर दर्ज करते हुये खातेदारी निरन्तर बनाये रखने के अधिकार प्रदान किये गये है। इस प्रकार अप्रार्थीगण के पूर्वज वादग्रस्त भूमि पर

काबिज काश्त रहे है। मिसल बन्दोबस्त 2015 तैयार किये जाने से पूर्व भी वादग्रस्त आराजी ख0नं0 528, 535 सम्वत् 2009 में मंदिर माफी की भूमि नहीं होकर खातेदारी दर्ज रही है। वादग्रस्त भूमि खातेदारी काश्तकारी में दर्ज होकर मिन अप्रार्थीगण के पूर्वजो/हक पूर्व अधिकारियो के नाम दर्ज रही है। इस प्रकार वादग्रस्त खसरा नम्बर की खतोनी बंदोबस्त में अव्वल तो मन्दिर का नाम गलत इन्द्राज किया गया है जबकि वादग्रस्त भूमि खसरा गिरदावरी व कब्जे काश्त अनुसार अप्रार्थीगण के पूर्वजो के नाम इन्द्राज किया जाना था इस प्रकार खातेदारी में दर्ज होने के बावजूद गलत रूप से रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है। दोयम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अस्तित्व में आने की दिनांक 15–10–1955 को धारा 15 के अनुरूप जागीर की भूमि में खतोनी बन्दोबस्त में कॉलम संख्या 5 में दर्ज कृषकों को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये थे। इसी कारण गत 60 वर्षो से अधिक समय से राजस्थान सरकार के कानूनों के अन्तर्गत राजस्व अभिलेखों में खातेदार/काश्तकार दर्ज होकर काबिज काश्त चले आ रहे है, प्रार्थी तहसीलदार, जयपुर द्वारा तथ्यों के विपरीत रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है जो चलने योग्य नही होने से निरस्तनीय है। अप्रार्थीगण के विद्वान् अभिभाषकगणों का यह भी कथन है कि सम्वत् 2015–2034 में मन्दिर का नाम होने का तथ्य गलत अंकित किया गया है बल्कि वास्तविकता इस प्रकार है कि मिन अप्रार्थीगण के पूर्वज/हकपूर्वअधिकारी बजमाने जागीर से उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते रहे है जिसका अंकन तत्समय राजस्व अभिलेख गिरदावरी में भी मिन अप्रार्थीगण के पूर्वजो विक्रेतागण व खातेदारों का नाम दर्ज है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने से कब्जे काश्त के अनुसार अर्थात गिरदावरी के अनुसार मिन अप्रार्थीगण के पूर्वजो को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये थे तत्पश्चात् वादग्रस्त आराजी के खातेदार काश्तकार नानूलाल छोटीलाल के वारिसान जुगल किशोर पुत्र नानूलाल व सत्यनारायण, मोहनलाल पुत्र स्व0 श्री छोटेलाल द्वारा बेचान किये जाने के फलस्वरूप ही मिन उत्तरदातागण के नाम जरिये नामान्तरकरण राजस्व अभिलेख में इन्द्राज हुआ है। इस प्रकार तथ्यों के विपरीत प्रस्तुत किया गया रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने योग्य है। ग्राम सिरसी खसरा नम्बर 528, 535, जो जयपुर स्टेट के तात्कालिक राजस्व अभिलेख खसरा गिरदावरी सम्वत् 2009 से 2011 व 2012 से 2015 में भूमि मन्दिर के नाम नहीं होकर काश्तकारों नानूलाल व छोटीलाल के नाम दर्ज है उनकी मृत्यु के पश्चात् वारिसानों के नाम सही रूप से नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है, जो सही है

तत्समय की खसरा गिरदावरी भी मिन अप्रार्थीगण के पूर्वजो/हकपूर्वअधिकारी के नाम थी विधिनुसार खातेदारी अधिकार मिन अप्रार्थीगण को प्राप्त हुये है तथा राजस्व अभिलेख में दर्ज जायज खातेदारान से उत्तरदाता ने वादग्रस्त आराजी सद्भाविक रूप से उचित प्रतिफल देकर साधिकार जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र क्रय कर नामान्तरकरण एवं राजस्व अभिलेख में अपने नाम दर्ज अंकित करवाई है। क्रेता अप्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजी पर अर्से–दराज से बतौर सद्भाविक खातेदार काश्तकार कब्जा काश्त है। इस प्रकार बिना वैधानिक अधिकार के प्रार्थी तहसीलदार, जयपुर द्वारा वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है जो विधि–विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी खसरा नं0 528, 535 अप्रार्थीगण क्रेतागण व पूर्व खातेदारों के नाम से राजस्व रिकार्ड में कदीमी समय से दर्ज व अंकित है तथा उनकी मृत्यु के पश्चात् नामान्तरकरण सही रूप से दर्ज हुये है। वर्तमान अप्रार्थीगण उपयोग उपभोग करते चले आ रहें है तथा वर्तमान राजस्व अभिलेख में अप्रार्थीगण का नाम दर्ज है। रेफरेन्स प्रार्थना पत्र एक दीर्घ अवधि के पश्चात् बिना युक्तियुक्त कारणों के प्रस्तुत किया गया है। अतः रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज फरमाया जावे।

हमने उभय पक्षों की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। वरवक्त बहस विद्वान् राजकीय अभिभाषक ने वादग्रस्त आराजी को सम्वत् 2015–2034 में माफी मंदिर श्री रघुनाथ जी पुजारी नानूलाल, छोटेलाल पि0 गंगाबक्स जाति–ब्राह्मण दायमा सा0 देह के नाम खातेदारी दर्ज होना जाहिर किया है और अप्रार्थी सं0 5, 6/3 व 6/2/1, 6/2/3, 6/2/4 के विद्वान् अभिभाषकगण ने वादग्रस्त आराजी ख0नं0 528, 535 को सम्वत् 2015–2034 की जमाबन्दी बन्दोबस्त के कॉलम संख्या 3 नाम भौक्ता में पट्टी सं0 18 पट्टी शामलात किशोर जी कॉलम सं0 4 नाम उपभोक्ता में माफी मंदिर श्री रघुनाथ जी पुजारी नानूलाल छोटेलाल पि0 गंगाबक्स जाति–ब्राह्मण दायमा सा0 देह व कॉलम सं0 5 नाम कृषक में खुदकाश्त दर्ज होने का कथन किया है। अप्रार्थीगण के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में यह भी कथन किया है कि खतौनी बन्दोबस्त जमाबन्दी सम्वत् 2015–2034 में प्रयुक्त भौक्ता शब्द का तात्पर्य तत्समय सम्बन्धित भूमि के द्वारा प्राप्त राजस्व आय को भोगने वाला अर्थात जागीरदार के लिऐ प्रयुक्त है उपभोक्ता वह था जिसे जागीरदार द्वारा कतिपय उद्देश्यों हेतु आराजी को लीज पर दिया गया हो और कृषक वह जो तत्समय भूमि पर कृषि कार्य करता था विद्वान् राजकीय अभिभाषक द्वारा

वादग्रस्त आराजी ख0नं0 528, 535 को माफी मंदिर श्री रघुनाथ जी की खातेदारी की होने का तो कथन किया है परन्तु खातेदारी सम्बन्धी कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गऐ है और अप्रार्थीगण के विद्वान् अभिभाषक के उपरोक्त कथन का खण्डन करने में भी प्रार्थी तहसीलदार, जयपुर व उनके विद्वान् राजकीय अभिभाषक सफल नहीं हो सके है और न ही अप्रार्थीगण के विद्वान् अभिभाषक के कथन के खण्डन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध है। उभय–पक्षों के कथन के परिपेक्ष्य में पत्रावली में उपलब्ध नकल खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) ग्राम सिरसी सम्वत् 2015–2034 का अवलोकन किया गया। इसके कॉलम सं0 3 नाम भौक्ता, पिता का नाम जाति व निवास में "पट्टी नम्बर 18 पट्टी शामलात किशोर जी" अंकित है कॉलम सं0 4 उपभोक्ता का नाम में माफी मंदिर श्री रघुनाथ जी पुजारी नानूलाल, छोटीलाल पि0 गंगाबक्स जाति–ब्राहम्ण दायमा सा0 देह अंकित है। कॉलम सं0 5 नाम कृषक पिता का नाम, जाति निवास स्थान, श्रेणी कृषक व कृषिकाल में खुदकाश्त दर्ज है इस प्रकार सम्वत् 2015–2034 की जमाबन्दी में कॉलम सं0 3 भौक्ता के कॉलम में घट्टी नम्बर 18 पट्टी शामलात किशोर जी का नाम अंकित है। "भौक्ता" शब्द का तात्पर्य तत्समय सम्बन्धित आराजी के द्वारा प्राप्त राजस्व आय को भोगने वाला अर्थात् जागीरदार के लिऐ प्रयुक्त हुआ है। "उपभोक्ता वह था जिसे जागीरदार द्वारा कतिपय उद्देश्यों हेतु भूमि को लीज पर दिया जाता था। "कृषक" वह था जो तत्समय भूमि पर कृषि कार्य करता था। सम्वत् 2015–2034 की खतौनी बन्दोबस्त (जमाबन्दी) में उक्तानुसार कॉलम होकर नाम भौक्ता के कॉलम में पट्टी शामलात किशोर जी का नाम दर्ज था जिससे स्पष्ट है कि पट्टी शामलात किशोर जी का नाम जागीरदार की हैसियत से दर्ज था। जिसकी पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2009 के कॉलम संख्या 4 नाम पट्टी या पटेल में दर्ज इन्द्राज "पट्टी शामलात किशोर जी" से होती है। जमाबन्दी के कॉलम सं0 4 जो कि "उपभोक्ता" का कॉलम है, उसमें "माफी मंदिर श्री रघुनाथ जी जरिये पुजारी नानूराम, छोटीलाल पि0 गंगाबक्स जाति ब्राह्मण दायमा सा0 देह." का अंकन है, के संबंध में विद्वान् राजकीय अभिभाषक स्पष्ट नहीं कर सके कि यह इन्द्राज किन तथ्यों/दस्तावेजों के आधार पर दर्ज किया गया है। प्रार्थी तहसीलदार, जयपुर द्वारा भी इस इन्द्राज के समर्थन में किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। माफी मंदिर श्री रघुनाथ जी का नाम कॉलम सं0 4 उपभोक्ता में दर्ज है, और इस प्रयोजन हेतु उपभोक्ता को तथ्यों के विपरीत खातेदार नहीं माना जा

सकता है। उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में, अप्रार्थीगण के विद्वान् अभिभाषक द्वारा भू–प्रबन्ध से पूर्व की खसरा गिरदावरियों में नानूलाल, छोटेलाल की खातेदारी में दर्ज होने के कथन के सम्बन्ध में पत्रावली में उपलब्ध प्रमाणित प्रतिलिपि खसरा गिरदावरी आराजी ख0नं0 528, 535 सम्वत् 2009 से सम्वत् 2011 का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि इसके कॉलम सं0 4 नाम पट्टी या पटेल में "पट्टी शामलात किशोर जी" व कॉलम सं0 7 नाम खातेदार मय वल्दियत कौमियत व सकूनत व मुद्दत व मियाद पट्टा में नानूलाल व छोटेलाल मु0क0 अंकित है, इससे यह प्रमाणित है कि वादग्रस्त आराजी जागीर की भूमि थी जिस पर बतौर खातेदार नानूलाल व छोटेलाल द्वारा मु0क0 से काश्त की जा रही थी। इस खसरा गिरदावरी में मंदिर श्री रघुनाथ जी का नाम बतौर जागीरदार या खातेदार नहीं होने से यह संशय पूर्ण है कि खतौनी बंदोबस्त में मंदिर श्री रघुनाथ जी व खुदकाश्त का इन्द्राज किन विधिक दस्तावेजों के आधार पर हुआ है। अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत की गई प्रमाणित फोटोप्रति खसरा गिरदावरी के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 528 व 535 के न तो मंदिर श्री रघुनाथ जी जागीरदार थे और न ही खातेदार काश्तकार थे बल्कि वादग्रस्त आराजी माफी की पट्टी शामलात किशोर जी की जागीर में थी और तत्समय बतौर खातेदार नानूलाल व छोटेलाल ब्राह्मण मुद्दत कदीम से काबिज काश्तकार थे। राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 के तहत समस्त प्रकार की जागीरों का अधिग्रहण कर लिया गया था और समस्त भूमि का स्वामित्व राज्य सरकार में निहित हो चुका था। 1952 का अधिनियम कृषकों के हितो की रक्षा के लिऐ एक विशेष अधिनियम के तौर पर विशेष रूप से पारित किया गया है जिसकी धारा 9 में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया कि 1952 का अधिनियम लागू होने के दिन जो व्यक्ति जागीर भूमियों पर बतौर कृषक दर्ज थे, वे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के लागू होने के दिन धारा 15 के अनुसार स्वतः ही खातेदार काश्तकार हो जाते है। जागीर अधिनियम की धारा 10 के तहत जागीरदारों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिऐ यह प्रावध्याान किया गया कि जिन भूमियों पर जागीरदारों की खुदकाश्त दर्ज है, ऐसी भूमियां जागीरदार की खातेदारी में मानी जायेगी और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 15 के अनुसार खुदकाश्त की भूमियां स्वयं जागीरदार की खातेदारी में मानी जायेगी। विचारण प्रकरण में खसरा गिरदावरी सम्वत् 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016–2019 में नाम पट्टी या पटेल में पट्टी शामलात किशोर जी व

नाम खातेदार मय वल्दियत कौमियत व सकूनत व मुद्दत व मियाद पट्टा में नानूलाल वगैराह का नाम दर्ज है अर्थात जागीर रिज्यूम होने से पूर्व ही नानूलाल वगैराह बतोर खातेदार काश्तकार थे और जागीर रिज्यूम होने पर नानूलाल व छोटेलाल का नाम ही राजस्व अभिलेख में दर्ज होना था परन्तु भू–प्रबन्ध सम्वत् 2015–2034 में आराजी ख0नं0 528 व 535 को जागीरदार की खुदकाश्त दर्ज की है उसका कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा राजस्व अभिलेख में किये गऐ इन्द्राज के साथ ही जो राजस्व अधिकारियो द्वारा राजस्व अभिलेख खसरा गिरदावरी सम्वत् 2016, 2017, 2018, 2019 संधारित की है उसके कॉलम ''गत चतुर्वर्षीय जमाबन्दी के अनुसार लेखन'' के कॉलम सं0 5 नाम भूमि अधिकारी (जागीरदार, उपजागीरदार तथा माल गुजार बिस्वेदार या जमींदार) विवरण सहित व भूमि अधिकारी का प्रकार में पट्टी शामलात किशोर जी मन्दिर माफी तथा नाम कृषक विवरण सहित तथा कृषि काल कॉलम संख्या 6 नाम उपकृषक विवरण सहित तथा कृषि काल में नानूलाल व छोटेलाल पि0 गंगाबक्स जाति–ब्राह्मण सा0 देह मु0क0 दर्ज है गत चतुर्वर्षीय जमाबन्दी के अनुसार लेखन का तात्पर्य जो इन्द्राज इस वर्ष किये गऐ है वे गत चतुर्वर्षीय जमाबंदी में थे। इसके साथ ही जब प्रथम आधार जमाबन्दी सम्वत् 2019–2022 तैयार की गई तो जागीरें रिज्यूम हो जाने के कारण जमाबंदी सम्वत् 2019–2022 में आ0ख0नं0 528 व 535 भूमि धारी के कॉलम में सरकार और कॉलम सं0 4 नाम कृषक में नानूलाल, छोटेलाल पि0 गंगाबक्स का नाम बतोर खातेदार दर्ज है इसके पश्चात् जमाबंदी सम्वत् 2023–2026 में भी आ0ख0नं0 528 व 535 के बतौर खातेदार नानूलाल व छोटेलाल पि0 गंगाबक्स का नाम दर्ज है इस प्रकार भू–प्रंबध से पूर्व खसरा गिरदावरियों में दर्ज खातेदार काश्तकार नानूलाल, छोटेलाल पि0 गंगाबक्स के इन्द्राज की निरन्तरता में सम्वत् 2016 से 2019 की खसरा गिरदावरियों में बतौर खातेदार काश्तकार नानूलाल व छोटेलाल का नाम दर्ज है और इसी निरन्तरता में प्रथम आधार जमाबंदी सम्वत् 2019–2022 में नानूलाल छोटेलाल पि0 गंगाबक्स का नाम दर्ज किया जाना जाहिर होता है तत्पश्चात् 2023–2026 के लिए तैयार की गई जमाबंदी में नानूलाल, छोटेलाल पिसरान गंगाबक्स का नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है और राजस्व अभिलेख में दर्ज खातेदार काश्तकार की फौती पर नामान्तरकरण संख्या 318 विरासत का स्वीकार किया गया है। उत्तराधिकारी जुगलकिशोर पुत्र स्व0 श्री नानूलाल तथा सत्यनारायण व मोहनलाल पुत्र स्व0 श्री छोटेलाल द्वारा आराजी खसरा नम्बर 528 व 535 जरिये पृथक–पृथक रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र

बेचान किये जाने पर बेचान का नामान्तरकरण संख्या 904 दिनांक 26.03.1991 व नामान्तरकरण संख्या 1061 दिनांक 09.11.1993 क्रेतागण के नाम स्वीकार होने के फलस्वरूप जमाबंदी सम्वत् 2076–2079 में दर्ज है। तहसीलदार, जयपुर ने उनके पत्र क्रमांक भू0अ0/रेफ0/2021/1193 दिनांक 08.03.2022 में जो जवाबुलजवाब प्रस्तुत किया है उसमें प्रथम बन्दोबस्त से पूर्व खसरा गिरदावरी सं0 2009–2011 में नानू वगैराह के नाम दर्ज होना स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में जो जागीर रिज्यूम के समय राजस्व रिकार्ड में जो इन्द्राज था उनके निरन्तरता में नाम जमाबन्दी में बदस्तूर बने रहेंगे बाबत् जो निर्देश राज्य सरकार के मार्गदर्शन दिनांक 24.05.2007, दिनांक 06.01.2020 व दिनंक 19.04.2011 में दिऐ गऐ है, उनकी परिधि में ही खसरा गिरदावरी सम्वत् 2016–2019 जमाबन्दी 2019–2022, जमाबन्दी 2023–2026 में आराजी ख0नं0 528 व 535 की निजी खातेदारी दर्ज किया जाना जाहिर होता है। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड नकल खसरा गिरदावरी में कृषक के कॉलम में नानूलाल व छोटीलाल का नाम दर्ज है और यही इन्द्राज आगे की गिरदावरियों/जमाबंदियों में अंकित है। जागीर रिज्यूम के समय जिनके द्वारा काश्त की गई वे उपरोक्त विवेचनानुसार नानूलाल, छोटीलाल पि0 गंगाबक्स थे और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रभाव में आने पर इस अधिनियम के अनुसार भी नानूलाल, छोटीलाल खातेदार काश्तकार हो गऐ। पत्रावली पर ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य नकल जमाबंदी अथवा अन्य कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह प्रमाणित हो कि विवादग्रस्त आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व अथवा बाद में, जागीर रिज्यूम के समय अथवा इससे पूर्व माफी मंदिर की खुदकाश्त रही हो। प्रार्थी तहसीलदार पक्ष अपने आधे–अधूरे दस्तावेजात के आधार पर यह चाहते है कि रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र स्वीकृत कर खातेदार कृषक के अधिकार समाप्त कर दिये जावे। खातेदार कृषक के अधिकार बहुमुल्य अधिकार है। इन अधिकारों को सरसरी तौर पर तथा संक्षिप्त कार्यवाही के तहत आधे–अधूरे दस्तावेजात/तथ्यों के आधार पर समाप्त नहीं किया जा सकता है। रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र युक्तियुक्त समय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। समयावधि व्यतीत होने के साथ–साथ भूमि का हस्तान्तरण/विक्रय हो जाता है। सदभावी क्रेता के अधिकार भूमि में पैदा हो जाते है। सदभावी क्रेता राजस्व रिकार्ड देखकर भूमि क्रय करता है। धारा 140 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अनुसार Record of Right का अंकन सत्य होता है। इसी पर विश्वास कर क्रेता भूमि को खरीद लेता है। खरीद के आधार पर राजस्व रिकार्ड में क्रेता का

नाम बतौर खातेदार अंकित हो जाता है। अत्यधिक समय व्यतीत होने के पश्चात् अचानक रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर वर्तमान खातेदार का नाम कलमजन करने का अनुतोष मांगा जाता है। सदभावी क्रेता का कोई दोष नहीं होता है। उसके द्वारा सरकार द्वारा संधारित राजस्व रिकार्ड का अवलोकन कर ही भूमि खरीद की जाती है। अगर रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र यथा शीघ्र प्रस्तुत कर दिया जाता तो सदभावी क्रेतागण के अधिकारों का हनन नहीं होता। विचारण प्रकरण एक दीर्घ अवधि के पश्चात प्रस्तुत किया गया है जिसे न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है।

उक्त विवेचनानुसार वादग्रस्त आराजी ख0नं0 528, 535 वाके ग्राम सिरसी जागीर रिज्यूम होने से पूर्व नानूलाल व छोटेलाल का नाम दर्ज होने इसके पश्चात् निरन्तरता में इन्द्राज किया जाना जाहिर है, जिसमें किसी प्रकार का संशोधन कराये जाने की राय राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत राजस्व मंडल को भिजवाया जाना न्यायोचित नहीं पाते है अतः आराजी ख0 नं0 528 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा, 535 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा की सीमा तक प्रस्तुत किये गये रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र को अस्वीकार किया जाकर निरस्त किया जाता है।

आराजी ख0 नं0 5 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा के माफी मंदिर श्री रघुनाथ जी पुजारी नानूलाल, छोटेलाल पि0 गंगाबक्स जाति–ब्राह्मण की खुदकाश्त होना प्रार्थी तहसीलदार, जयपुर ने जाहिर किया है जिसकी पुष्टि नकल खतौनी जमाबन्दी 2015–2034 से होती है। प्रार्थी तहसीलदार, जयपुर ने अपने जवाबुलजवाब दिनांक 08.03.2022 में आराजी खसरा नम्बर 5 को गिरदावरी सम्वत् 2009–2011 के कॉलम संख्या 7 में नानू वगैराह के नाम दर्ज होना जाहिर किया है परन्तु इसकी पुष्टि में कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है और वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदार अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे है ऐसी स्थिति में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2015–2034 के कॉलम नाम खातेदार मय वल्दियत कोमियत व सकूनत व मुद्दत व मियाद पट्टा में माफी मंदिर श्री रघुनाथ जी पुजारी नानूलाल, छोटेलाल वल्द गंगाबक्स दर्ज है और इसी को निरन्तरता में राजस्व अभिलेख में इन्द्राज किया जाना नितान्त आवश्यक था किन्तु माफी मंदिर श्री रघुनाथ जी के बजाय निजी व्यक्तियों के नाम खातेदारी दर्ज की है, जोकि पत्रावली में उपलब्ध नकल नामान्तरकरण सं0 217 के कॉलम सं0 5 से जाहिर होता है, बतौर कृषक खातेदार दर्ज कर क्रेता गणपतलाल पुत्र धन्नालाल के नाम नामान्तरकरण

स्वीकार किया गया है, जो अनुचित है। जब माफी मन्दिर रघुनाथ जी आराजी खसरा नं0 5 की खातेदारी नानूलाल व छोटीलाल के नाम ही अवैध रूप से दर्ज की गई है तो उनके द्वारा किया गया बेचान, बेचान के आधार पर स्वीकार किया गया नामान्तरकरण 217 तत्पश्चात् विरासत नामान्तरकरण सं0 1204 और इनके द्वारा विक्रय किये जाने पर क्रेता नन्दकिशोर के नाम नामान्तरकरण सं0 1228 व नन्दकिशोर की फौती का नामान्तरकरण सं0 1526 स्वतः ही अवैध सिद्ध हो जाता है, और ऐसे इन्द्राजात निरस्त कराया जाना न्याय संगत है। अतः आराजी खसरा नं0 5 के संबंध में निजी व्यक्ति नानूलाल व छोटीलाल के नाम इन्द्राज व तत्पश्चात् किये गये समस्त इन्द्राजों को निरस्त किये जाने की राय से माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को भिजवाया जाना न्यायोचित होने के कारण समस्त इन्द्राजात को निरस्त किये जाने की राय से माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र भिजवाने के आदेश दिये जाते है। चूंकि आराजी ख0नं0 831 के संबंध में पटवारी हल्का सिरसी की रिपोर्ट दिनांक दिनांक 08.03.2022 में तहसील आदेश क्रमांक 188 दिनांक 17.01.2015 द्वारा माफी मंदिर श्री रघुनाथ जी के अंकन का आदेश का नोट लगा हुआ होना अंकित किया है जिसकी पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबंदी सम्वत् 2076–2079 में दर्ज खसरा नम्बर 831 पर लगे नोट से होती है। अतः इस नोट के खण्डन में अन्यथा कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है और वरवक्त बहस इस नोट का प्रार्थी पक्ष की ओर से खण्डन नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में जब माफी मंदिर श्री रघुनाथ जी के अंकन का आदेश हो चुका है तो पुनः माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र भिजवाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। इसके बावजूद भी आराजी खसरा नम्बर 831 के संबंध में अन्यथा कोई परिस्थिति जन्य दस्तावेज उपलब्ध होते है तो पुनः परिस्थिति जन्य आराजी खसरा नम्बर 831 के लिए तहसीलदार, जयपुर रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 04.04.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह चारण)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर